राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषित कार्य एनिकट निर्माण/2018–19/12040–49 दि. 8/3/19

परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
बांसवाडा।

विषय : एनिकट निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग : विकास अधिकारी कुशलगढ जिला बांसवाडा का पत्रांक 2306 दिनांक 21.02.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के प्रशासनिक स्वीकृति पत्र कमांक 6108–18 दिनांक 30.01.2019 के कम में प्रासंगिक पत्र विकास अधिकारी, कुशलगढ जिला बांसवाडा का पत्रांक 2306 दिनांक 21.02.2019 से जारी तकनीकी स्वीकृति अनुसार कॉलम संख्या 4 में अंकित राशि की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है –

कार्यकारी एजेन्सी– ग्राम पंचायत

(राशि लाखों में)

क्र. स.	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति		प्रथम किश्त देय राशि
		क./दि.	राशि	राशि
1	2	3	4	5
1	एनिकट निर्माण स्कूल के पिछे ग्राम मुन्दडी ग्राम पंचायत भीमपुरा पंचायत समिति कुशलगढ।	351/18-02-2019	10.00	8.00

उपरोक्त कार्य हेतु राशि विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 8/2018-19 दिनांक 06.08.18 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में प्राप्त राशि रू. 600.00 लाख में उपलब्ध बचत राशि मे से प्रथम किश्त राशि 8.00 लाख (80%)हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।शेष राशि कार्य की प्रगति के आधार पर आवश्यकतानुसार दी जायेगी।

कार्यो के संपादन मे निम्नलिखित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावे–

1. उपरोक्त कार्य के सम्पादन हेतु जल संसाधन विभाग से सक्षम स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही कार्य प्रारंम्भ करें।
2. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें। दोहरे व्यय के लिए संबंधित पंचायत समिति एवं कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
3. कार्यकारी एजेन्सी एवं तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तो के अनुसार कार्य का सम्पादन **गुणवत्तापूर्वक** किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावे।
5. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
6. जिला परिषद द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार कार्यकारी एजेन्सी को राशि हस्तांतरित की जाएगी एवं कार्यो के उपयोगिता प्रमाण–पत्र/कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र समायोजित कर इस कार्यालय को प्रेषित किए जाएगें।

भवदीय

(भवानी सिंह देथा) I.A.S
आयुक्त

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषित कार्य नहर निर्माण/2018–19/ 12040-47 दि. 8/3/19

प्रतिलिपी :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बांसवाडा।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 8/2018.19 दिनांक 06.08.18 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में प्राप्त राशि रू. 600.00 लाख मे उपलब्ध बचत राशि मे से प्रथम किश्त राशि 8.00 लाख (80%) परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा को हस्तांतरित करें ।
6. विकास अधिकारी पंचायत समिति कुशलगढ जिला बांसवाडा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त कार्य के सम्पादन हेतु जल संसाधन विभाग से सक्षम स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही कार्य प्रारंम्भ करें।
7. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
8. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
9. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त II
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
ई–मेल : comm.tad@gmail.com, Website www.tad.rajasthan.gov.in

ENGR LETTER 2 2018